1) मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को निरस्त कर मणिपुर के नागा - कुकी (जनजाति) वर्ग को उनके अधिकार प्रदान करना चाहिए। 2). मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा एवं शासकीय नोकरी प्रदान की

3) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 मानवाधिकार उत्तंघन पर रोक लगते है परन्तु मणिपुर राज्य में संविधान की भयंकर अवहेलना हुई है इसलिए इसलिए तत्काल प्रभाव से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लाग् जाना चाहिए।

4) वोट बैंक के लिए किसी भी राज्य में केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अन्य वर्ग को अनुसूचित जाति /

जनजाति में शामिल नहीं किया जा सके ऐसा कानून बनाया जाए।

5). अनुसूचित जनजाति वर्ग देश की धरोहर एवं संस्कृति के प्रतिक है उनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की है इसलिए इस वर्ग के जत्थान और संरक्षण के लिए और अधिक प्रभावपाली कानन बनाने की आवश्यकता है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया अगर उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार कर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य में हम मुकंदर्शक बन कर ना जाने कितने निर्दोष लोगों की मोत का तमाशा देखने वाले है और इसके जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होंगे।

संस्था उम्मीद करती है की केंद्र सरकार एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा उक्त ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए नागा - कुकी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग के अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा एवं उनके साथ सामाजिक न्याय किया जाएगा।

नोट- केंडल मार्च दिनांक 05/08/2023 शनिवार शाम 07 बजे स्थान जिल्हा और चौराहे से चलकर समापन रात्रि 08 बजे स्थान अर्थ डाज चोराहे पर होगा, जहा ज्ञापन का वाचन कर प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाना है।

प्रतिलिप्

माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीमकोर्ट नई दिल्ली दिल्ली।

माननीय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली।

Distirict President National Human Rights & Crime Control Bureau (Regd.) JAIPUR (Raj.)

जिला अध्यक्ष जम्मू याजः

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण जिला असप राज्य याजर धान मोबाइल नंबर १ न १ न १ ५ ५ ५ ५

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर / सील

(ब्लॉक अध्यक्ष / ज़िला अध्यक्ष / प्रदेश अध्यक्ष के लेटरहेड पर)

दिनांक 05/08/2023

पति

महामहिम राष्ट्रपति महोदया

राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली।

द्वारा - जिलाधीश / अनुविभागीय अधिकारी / थाना प्रभारी महोदय (कोई एक) जिला अनुविभागीय मान्द्र थान

विषय – मणिपुर हिंसा पर ध्यान केन्द्रित कर आवश्यक निर्णय लेने बाबत ज्ञापन।

महोदया,

मणिपुर हिंसा मणिपुर राज्य सरकार और मणिपुर हाईकोर्ट के लिए एक सबक है। मणिपुर में "नागा -कुकी" समुदाय की जनसँख्या 35% है जो की अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्ध रखते है, वंही 65% जनसँख्या मेइतेई- वर्ग की है जिनका अनुसूचित जनजाति से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेईतेई वर्ग के पास उपजाऊ भूमि है एवं वह आर्थिक रूप से सक्षम भी है। मणिपुर राज्य सरकार और मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा मेईतेई वर्ग को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका विरोध सुप्रीमकोर्ट द्वारा भी किया जा चूका है। इसके बाद भी मणिपुर राज्य सरकार के समर्थन से मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा पुनः मेईतेई वर्ग को जनजाति वर्ग में शामिल किये जाने के प्रयास किये गए है जो की नागा - कुकी (जनजाति) वर्ग के अधिकारों का हनन है। मणिपुर राज्य सरकार के सहयोग से मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा मेईतेई वर्ग के पक्ष में फैसला पूर्णतः राजनीती से प्रीरेत है। मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्व मर भी सुप्रीमकोर्ट द्वारा कड़ी निंदा की गई है। इससे प्रतीत होता है की मणिपुर राज्य सरकार एक पक्षीय मेईतेई वर्ग का सपोर्ट कर रही है एवं नागा - कुकी (जनजाति) वर्ग के अधिकारों का हनन कर रही है। इसी कारण विगत महीनों में नागा - कुकी (जनजाति) वर्ग को के लोगों को घर से बेदखल किया गया जो की निदनीय है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया यंहा निम्नलिखित प्रश्न खडे होते है कि -

1). जो लोग अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध नहीं रखते है उन्हें मणिपुर राज्य सरकार और मणिपुर हाईकोर्ट अनुसूचित जनजाति में क्यों शामिल करना चाहती है?

2). मणिपुर राज्य सरकार यह जानती है कि आदिवासियों की भूमि कोई अन्य वर्ग खरीद नहीं सकता है इसलिए मेईतेई वर्ग को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर नागा - कुकी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग की जमीन खरीदने या कब्ज़ा करने की योजना क्यों बनाई जा रही है?

3). मणिपुर पुलिस के सारे हथियार मेईतेई वर्ग के पास बरामद हुए जो सिद्ध करता है की सरकार और पुलिस मेइतेई वर्ग का सपोर्ट कर रही है क्यों?

4). अभी तक हुई मोतों में सर्वाधिक संख्या नागा – कुकी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग की है ऐसा क्यों?

5). कुकी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग की महिलाओं को निर्वस्त्र कर उन्हें मारना / पीटना / बलात्कार / हत्या आदि मामले में महिला अधिकारों का भयंकर हनन हुआ जिसमे राष्ट्रीय महिला आयोग और सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया क्यों?

अतः राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (रजि.) केंद्र सरकार एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मांग करता है कि -

Mr. Sukhwant Singh

District. President (General Wing) Unique ID : NHRCCB/2685

(M) 96802-87107, 78774-12892



Village : Hansliya Teh. Pilibangan-335863 Disti, Hanumangarh (Raj.) sukhwantsingh7864@gmail.com

NATIONAL HUMAN RIGHTS AND CRIME CONTROL BUREAU

(GOVT REOD 483/2017, INCORPORATED UNDER THE LEGISLATION OF GOVT OF INDIA, LTA 1882) REGO. UNITED NATION (UNDESA), NITLANYOG (GOVT, OF INDIA).

A VOLUNTARY ORGANIZATION FOR THE PROTECTION & PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

Ret No. NHRCCB/

DATE -05/08/2023

TO.

Hon, National President

Rashtrapati Bhawan New Delhi

By - District Magistrate / Sub Division Magistrate / Police Station Incharge (any one) Dist

HANUMARI State RAJASTHAN.

Subject - Memorandum regarding taking necessary decisions focusing on Manipur violence.

Hon. President Madam,

The Manipur violence is a lesson for the Manipur State Government and the Manipur High Court. In Manipur, 35% of the population of the "Naga-Kuki" community belongs to the Scheduled Tribe category, while 65% of the population belongs to the "Meitei" category, who do not belong to the Scheduled Tribe. The "Meitel class" has fertile land and is also economically capable. Effortsare being made by the Manipur State Government and the Manipur High Court to include the "Meitel class" in the Scheduled Tribes, which has also been opposed by the Supreme Court. Evenafter this, efforts have been made by the Manipur High Court with the support of the Manipur State Government to re-try to include the "Meltei class" in the tribe category, which is a violation of the rights of the Naga-Kuki (tribe) class. The decision in favor of the "Meiter class" by the Manipur High Court with the cooperation of the Manipur State Government is completely politically motivated. The Manipur High Court's decision has also been strongly criticized by the Supreme Court in the past. It appears that Manipur state government is supporting one sided "Meitel class" and violating the rights of Naga-Kuki (Tribe) class. For this reason, people belonging to the Naga-Kuki (tribe) class were evicted from their homes in the past months, which is condemnable.

NEAD OFFICE: PLOT NO 44, UPPER GROUND FLOOR, POCKET B 10 SECTOR 13 DWARKA NEW DELHI 110075.

NATIONAL ADMN. OFFICE/ G.O. QUARTER NO. LS 48, FIRST FLOOR HARMU HOUSING COLONY NEAR-KARTIK GRAON CHONK.

HARMURANCHI

HELPLINE - 989315 1900